

## न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बड़जलास-रामजस विशनोई (आर.ए.एस.)

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट सपठित आदेश अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित  
धारा 151 सीपीसी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

संख्या :- 58/2019

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
राधेश्याम पुत्र मोहनलाल जाति साद निवासी मूण्डवा तह0 मूण्डवा जिला नागौर	1. रामकुमार पुत्र सत्यनारायण जाति जाट निवासी मूण्डवा, जिला नागौर। 2. कैलाशदान दत्तक पुत्र बद्रीदान जाति चारण निवासी ढाढरियां खुर्द तह0 मूण्डवा 3. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई (पूर्व में एसबीबीजे) शाखा मूण्डवा, जिला नागौर 4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा 5. उप पंजीयक मूण्डवा।

वकील प्रार्थी :- श्री मधुर सिखवाल

वकील अप्रार्थी सं. 1 :- श्री दिनेश हेडा  
श्री हेमाराम गोलिया

**::आदेश::**

दिनांक :- 12.03.2021

(1.) प्रार्थी की ओर से दिनांक 22.07.2019 को निम्नानुसार आवेदन पेश हुआ:-

1. यह है कि उपरोक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष ठोस तथ्यों व आधारों पर आधारित पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से वादी/प्रार्थी को सफलता मिलने की प्रबल सम्भावना है।
2. यह है कि प्रार्थी ग्राम मूण्डवा तहसील मूण्डवा जिला नागौर में रहकर अपना जीवन बीता रहा है। खसरा नम्बर 446 रकबा 3.1500 बीघा, खसरा नम्बर 424 रकबा 18.1100 बीघा, खसरा नम्बर 424/689 रकबा 0.0500 बीघा मौजा सोलियाणा तहसील मूण्डवा जिला नागौर स्थित रहते चले हैं खसरा नम्बर 424 व 446 की खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम व खसरा नम्बर 424/689 की खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दोनों के संयुक्त रूप से दर्ज हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त तीनों खसरों में निहित अपने हक हिस्से को रहन रखकर मूर्तहीन आधार पर ऋण अप्रार्थी संख्या 3 से प्राप्त किया गया है एवं संयुक्त रूप से दर्ज हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तीनों खसरों में नाम दर्ज होने के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 से मिलीभगत से रहन रहकर मूर्तहीन आधार पर ऋण अप्रार्थी संख्या 3 से प्राप्त कर लिया गया, जबकि मौके पर उक्त भूमि पर मुझ प्रार्थी का निर्विवाद रूप से कब्जा व काश्त व रहवास है। यह है कि खसरा नम्बर 424/689 रकबा 00.05 बीघा भूमि जो कि पूर्व खातेदार लुणाराम पुत्र रामकुंवार व कैलाशदान दत्तक पुत्र श्री बद्रीदान चारण अप्रार्थी संख्या 2 के 1/2-1/2 हिस्से की थी, जिसका आधा हिस्सा लुणाराम पुत्र रामकुंवार ने अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 12.08.2011 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के विक्रय कर दिया। वास्तव में इस जमीन के संबंध में क्रय करने को लेकर जो प्रतिफल राशि का मुगलान किया गया थ, वह प्रार्थी के द्वारा किया गया था। जिसमें साक्षी के रूप में प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं, जिस विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक नागौर में

दिनांक 12.08.2011 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 820 में पृष्ठ संख्या 88 क्रम संख्या 2011010734 पर पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार उक्त खेत खसरा नम्बर 424/689 वाके मौजा सोलियाना की भूमि का खातेदार प्रार्थी अकेला एकल खातेदार स्वामी की हैसियत से रहा। मगर प्रार्थी विक्रय पत्र के निष्पादन व पंजीयन करवाने के समय स्नेह, प्रेम व मित्रता के कारण अकेल अप्रार्थी संख्या 1 के हक में प्रार्थी को विश्वास में लेकर सहमति से रजिस्ट्री करवा ली। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का आशय शुरू से ही बदनियती का व दुराशयपूर्वक रहा था।

4. यह है कि इसी प्रकार खसरा नम्बर 446 रकबा 3.15 बीघा व खसरा नम्बर 424 रकबा 18.11 कुल 22 बीघा 06 बिस्वा भूमि पूर्व खातेदार मैनादेवी पत्नी रामकुंवार नाई से दिनांक 12.08.2011 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ने संयुक्त रूप से क्रय की, सन 1999 में मौखिक सहमति से 4.40 लाख रुपये में प्रार्थी ने क्रय की थी, परन्तु दिनांक 12.08.2011 तक मैनादेवी पत्नी रामकुंवार नाई व लुणाराम पुत्र रामकुंवार को भुगतान हेतु सम्पूर्ण राशि का इन्तेजाम नहीं हो पाने से रामकुंवार पुत्र सत्यनारायण जाट द्वारा बकाया भुगतान हेतु सहमति देने पर मुझ प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का नाम गिरवीनामा में गिरवीनामा की दृष्टि से दर्ज करने की सहमति दी थी, परन्तु दिनांक 12.08.2011 को बैचान दस्तावेज तहरीर करते समय मुझ प्रार्थी को विश्वास दिलवाते हुए कि रजिस्ट्री एक के नाम होने पर सुविधाजनक रहेगी ओर आपका नाम साक्षी के रूप में दर्ज हो जायेगा और अपने अकेले के नाम से दस्तावेज दिनांक 12.08.2011 को पंजीयन करवा लिया गया, मैं इस कानूनी मामले में ज्यादा जानकारी नहीं रखता था, जिस दस्तावेज का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक नागौर में दिनांक 12.08.2011 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 820 पृष्ठ संख्या 87 क्रम संख्या 2011010733 पर पंजीबद्ध किया गया। मगर प्रार्थी विक्रय पत्र के निष्पादन व पंजीयन करवाने के समय स्नेह, प्रेम व मित्रता के कारण अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के हक में प्रार्थी की सहमति से रजिस्ट्री करवा ली। जबकि अप्रार्थी का आशय शुरू से ही बदयान्ति का व दुराशयपूर्वक रहा था।
5. यह है कि वादग्रस्त खसरा की भूमि पर प्रार्थी का सन 1999 से खरीद के पश्चात् से निरन्तर कब्जा व काश्त बतौर खरीदसुदा मालिक रहता चला आया था, जो निरन्तर बदस्तूर जारी रहा। मगर खातेदारी विक्रय पत्र अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम होने से अधिकार विलेखों में बतौर खातेदार नाम अप्रार्थी संख्या 1 अकेले का दर्ज रहा। अप्रार्थी संख्या 1 ने बड़ी ही चतुराई व शातिराना तरीके से प्रार्थी को मुगालते में रखा तथा प्रार्थी को सह खातेदार के भांति व्यवहार करता रहा तथा कभी भी रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करवाने की चेष्टा नहीं की। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा की गई साजिश से तत्समय वाकिफ नहीं हो सका।
6. यह है कि यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रार्थी खसरा नम्बर 424/689 रकबा 0005 बीघा की सम्पूर्ण खरीदसुदा 1/2 भूमि का एकल स्वामी हैं तथा उसका अकेले का कब्जा व अधिकार हैं। उक्त भूमि में नलकूप स्थित हैं, जिस पर विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ हैं, जो पूर्व खातेदार यानि पूर्व विक्रेता के समय का ही स्थित रहता चला आया हैं, प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का उपयोग उपभोग किया जाना, खातेदार की हैसियत से द्यूबवैल कर कब्जा रखा जाना, विद्युत के बिल का भुगतान किये जाने का कार्य अपने सम्पूर्ण 1/2 भूमि तक रहता चला आया था। खसरा नम्बर 446 व 424 जो संयुक्त रूप से 22 बीघा 06 बिस्वा भूमि हैं, जिस पर 5 बीघा 06 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी बतौर खातेदार दिनांक 29.08.2015 के बाद काबिज काश्त हैं एवं काश्त कर रहा हैं।

  
अध्यक्ष कलेक्टर (मु.)  
नागौर

7. यह है कि कालान्तर में दिनांक 29.08.2015 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य एक लिखित इकरारनामा सादे कागज पर निष्पादित किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 की नियत में शुरू से ही बदयान्ति थी, इसी कारण उसने उक्त लिखा पढी भी प्रार्थी के आग्रह व निवेदन के बावजूद स्टाम्प पर निष्पादित नहीं किया, न नोटेरी से तस्दीक करवाया, न पंजीबद्ध करवाया तथा न ही खातेदारी में नाम प्रार्थी का लिखवाया। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर उक्त इकरारनामा दिनांक 29.08.2015 पर हैं, जिस इकरारनामा में अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त तमाम तथ्यों की स्वीकारोक्ति की है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 प्रारम्भ से ही विबंधित है तथा उसके विपरीत आचरण करने का अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 को हासिल नहीं है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में पक्का मकान व पशुओं को बांधने का बाडा व अन्य निर्माण संरचाएं स्थित रहती चली आई हैं, जिनका निर्माण प्रार्थी द्वारा बाद क्रय करने उक्त खसरान करवाकर गया तथा इनका निर्बाध व निरन्तर शांतिपूर्वक रूप से उपयोग उपभोग प्रार्थी द्वारा एकल रूप से किया जाता रहा है। जिन मकान, बाडो व निर्माणों के फोटोग्राफ्स आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
8. यह है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 424 व 446 वाके मौजा सोलियाना की 5 बीघा 06 बिस्वा भूमि पर व खसरा नम्बर 424/689 रकबा 0.05 बीघा जो नलकूप मय बिजली कनेक्शन है, के आधे भाग पर बतौर खातेदार काबिज है एवं काश्त कर रहा है यहां यह कहना भी न्यायोचित है कि विद्युत कनेक्शन का भुगतान भी सन 1999 से आज तक प्रार्थी ही कर रहा है। जिसके संबंध में विद्युत बिल की प्रतियां साथ पेश की जा रही हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के विरुद्ध मूण्डवा थाने में दर्ज करवाई जिसमें भी अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी का कब्जा होने का कथन कर रहा है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है तथा इसी अनुसार वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़घा करवाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है, जिस हेतु यह आवेदन पेश किया जा रहा है।
9. यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 की नियत का खुलासा सर्वप्रथम प्रार्थी के समक्ष हुआ तथा प्रार्थी का यह आभास हो गया कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को उसके हक हिस्से व बंट खातेदारी की कब्जासुद भूमि से किसी भी तरह से बेदखल करने पर आमदा है, जबकि वादग्रस्त उपरोक्त खसरान की भूमि का प्रतिफल द्यूबवैल वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा व अन्य दो खसरान की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी दोनों द्वारा किया गया है। ऐसी दशा में प्रार्थी वादग्रस्त खरीदसुदा भूमि का एकमात्र खातेदार काबिज काश्तकार व हकदार है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में ढाणी के रूप में पक्का मकान, पशु बांधने का बाडा आदि भी बने हुए हैं, अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को बेदखल करना चाहता है तथा किसी भी तरह से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त करने पर तुला हुआ है, जैसा करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के साथ एक इकरारनामा जो दिनांक 29.08.2015 को निष्पादित किया था, जिसमें भी प्रार्थी के कथनों की ताईद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा की गई, ऐसी दशा में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी के विरुद्ध है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है, काश्त है, निवास है, पक्का मकान बना हुआ है, पशुओं का बाडा बना हुआ है, प्रार्थी परिवार सहित निवास करता है, जहां से प्रार्थी को नाहक व विधि विरुद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.07.2019 सीआर नम्बर 94/2019 पुलिस थाना मूण्डवा में गलत मिथ्या व झूठे तथ्यों पर आधारित दर्ज करवाकर बेदखल करने की मंशा की सर्वप्रथम पुष्टि की है, जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से इसका कारण पूछा तो अप्रार्थी संख्या 1 अब साफ कह रहा है कि वह हर सूरत में प्रार्थी को

बेदखल करेगा, क्योंकि विक्रय पत्र उसके नाम से हैं, विधि उसकी सहायता करेगी, ऐसी दशा में प्रार्थी को अब अप्रार्थी संख्या 1 की बदयान्ति की सर्वप्रथम जानकारी हुई है, अप्रार्थी संख्या 1 की बदयान्ति की सर्वप्रथम जानकारी हुई है, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने नाजायज मंसूबो में सफल हो गया तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी व प्रार्थी अपने आवास निवास व कृषि भूमि से बेदखल जबरन कर दिया जायेगा, जिससे प्रार्थी को भारी असुविधा होगी, प्रार्थी को होने वाली अपूर्णीय क्षति का आंकलन मुद्रा में नहीं किया जा सकेगा तथा प्रार्थी के हक अधिकारों पर खतरों के काले बादल मंडराने से अब दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व यह आवेदन बाबत अस्थाई व्यादेश हेतु माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है, जिससे यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

10. यह है कि अन्य तथ्य बहस के समय निवेदन किये जायेंगे।

अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर दौराने विचारण मूल वाद व मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अस्थाई व्यादेश प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय का जारी किया जावे कि अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 446 रकबा 3.1500 बीघा, खसरा नम्बर 424 रकबा 18.1100 बीघा व खसरा नम्बर 424/689 रकबा 0.0500 बीघा मौजा सोलियाणा तहसील मूण्डवा जिला नागौर के किसी भी भू भाग में किसी भी प्रकार से प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा व्यवधान रूकावट हस्तक्षेप अवरोध गतिरोध हस्तक्षेप आदि न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थी के कब्जे उपयोग उपभोग काश्त कृषण आवास रहवास में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी आदि नहीं करें तथा उक्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का अंतरण, हस्तान्तरण, विक्रय, रहन, बंधक, गिरवी, हकतर्क, वसीयत, दान, भेंट, बख्शीश इत्यादि न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावें तथा पंजीयन भी नहीं करे तथा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति दौराने विचारण वाद स्थगित रखी जावे।

(2.) उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी सं. 1 रामकुमार का जवाब दिनांक 08.01.2021 को निम्नानुसार प्राप्त हुआ :-

1. यह है कि आवेदन पत्र का अनुच्छेद संख्या 1 में दर्ज तथ्य सर्वथा गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। प्रार्थी/वादी द्वारा वाद अवश्यक पेश किया है, किन्तु प्रस्तुत वाद व यह आवेदन मिथ्या व सारहीन तथ्यों पर आधारित है, किसी प्रकार की सफलता प्रार्थी/वादी को नहीं मिल सकती।
2. यह है कि आवेदन पत्र का अनुच्छेद संख्या 2 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार वर्णित किये गये हैं, गलत होने से अस्वीकार है। इस पैरा में दर्ज तथ्य कि खसरा नम्बर 446 रकबा 3.1500 बीघा, खसरा नम्बर 424 रकबा 18.1100 बीघा, खसरा नम्बर 424/689 रकबा 0.0500 बीघा मौजा सोलियाणा तहसील मूण्डवा जिला नागौर स्थित रहते चले हैं, सही है। इस पैरा में दर्ज तथ्य कि खसरा नम्बर 424 व 446 की खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम व खसरा नम्बर 424/689 की खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दोनों के संयुक्त रूप से दर्ज है, सही है। इस पैरा में दर्ज तथ्य कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त तीनों खसराओं में निहित अपने हक हिस्से को रहन रखकर मूर्तहीन आधार पर ऋण अप्रार्थी संख्या 3 से प्राप्त किया गया एवं संयुक्त रूप से दर्ज है, सही है। यह गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तीनों खसराओं में नाम दर्ज होने के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 से मिलीभगत से रहन रहकर मूर्तहीन आधार पर ऋण अप्रार्थी संख्या 3 से प्राप्त कर लिया गया हो। यह भी पूर्णतः गलत है कि जबकि मौके पर उक्त भूमि पर प्रार्थी का निर्विवाद रूप से कब्जा व काश्त व रहवास हो।

12  
रक्षक कर्तुटर (3.)  
नागौर

प्रार्थी का मौके पर एक इंच भू भाग पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आव जाव या रहवास वगैरहा नहीं हैं।

3. यह है कि आवेदन पत्र का अनुच्छेद संख्या 3 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार वर्णित किये गये हैं, गलत होने से अस्वीकार हैं। इस पैरा में दर्ज तथ्य कि खसरा नम्बर 424/689 रकबा 00.05 बीघा भूमि जो कि पूर्व खातेदार लुणाराम पुत्र रामकुंवार व कैलाशदान दत्तक पुत्र श्री बद्रीदान चारण अप्रार्थी संख्या 2 के 1/2-1/2 हिस्से की थी, जिसका आधा हिस्सा लुणाराम पुत्र रामकुंवार ने अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 12.08.2011 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के विक्रय कर दिया, सही हैं। यह गलत है कि वास्तव में इस जमीन के संबंध में क्रय करने को लेकर जो प्रतिफल का भुगतान किया हो, वह प्रार्थी के द्वारा किया गया हो। यह भी सही है कि जिस विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक नागौर में दिनांक 12.08.2011 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 820 में पृष्ठ संख्या 2011010734 पर पंजीबद्ध किया गया। मगर यह गलत है कि इस प्रकार उक्त खेत खसरा नम्बर 424/689 वाके मौजा सोलियाना की भूमि का खातेदार प्रार्थी अकेला एकल खातेदार स्वामी की हैसियत से रहा हो, खातेदार का तात्पर्य राजस्व रेकॉर्ड खाते में दर्ज व्यक्ति के नाम से होता है, जो प्रार्थी सरासर मिथ्या कथन कर रहा है। इस पैरा में आगे यह भी गलत है कि प्रार्थी विक्रय पत्र के निष्पादन व पंजीयन करवाने के समय स्नेह, प्रेम व मित्रता के कारण अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के हक में प्रार्थी को विश्वास में लेकर सहमति से रजिस्ट्री करवा ली हो। यह भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 का आशय शुरू से ही बदनियती का व दुराशयपूर्वक रहा हो। विधिवत रूप से बेचान का निष्पादन, पंजीयन अपार्थी संख्या 1 के हक में प्रार्थी की उपस्थिति में हुआ, कालान्तर में अप्रार्थी संख्या 1 की मासूमियत व भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी महज साख में दस्तावेजों के आधार पर स्वयं को स्वामी बताने का गलत व मिथ्या दावा व आवेदन लेकर आया है, जो प्रथम दृष्टया ही खारिज काबिल हैं। प्रार्थी के अभिवचनित तमाम तथ्य अपूर्ण अपुष्ट, अपर्याप्त, अप्रामाणिक, बलहीन, आधारहीन व काल्पनिक हैं।
4. यह है कि आवेदन पत्र का अनुच्छेद संख्या 4 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार वर्णित किये गये हैं, गलत होने से अस्वीकार हैं। इस पैरा में दर्ज तथ्य कि खसरा नम्बर 446 रकबा 3.15 बीघा व खसरा नम्बर 424 रकबा 18.11 कुल 22 बीघा 06 बिस्वा भूमि पूर्व खातेदार मैनादेवी पत्नी रामकुंवार नाई से दिनांक 12.08.2011 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ने संयुक्त रूप से क्रय की हो, अपितु उक्त भूमि एकल रूप से अप्रार्थी संख्या 1 ने विधिवत सप्रतिफल कब्जा प्राप्त कर खरीद की। यह गलत है कि सन 1999 में मौखिक सहमति से 4.40 लाख रुपये में प्रार्थी ने क्रय की हो, यह भी गलत है कि दिनांक 12.08.2011 तक मैनादेवी पत्नी रामकुंवार नाई व लुणाराम पुत्र रामकुंवार को भुगतान हेतु सम्पूर्ण राशि का इन्तेजाम नहीं हो पाने से रामकुंवार पुत्र सत्यरानायण जाट द्वारा बकाया भुगतान हेतु सहमति देने पर मुझ प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का नाम गिरवीनामा में गिरवीनामा की दृष्टि से दर्ज करने की सहमति दी हो। यह भी गलत है कि दिनांक 12.08.2011 को बेचान दस्तावेज तहरीर करते समय प्रार्थी को विश्वास दिलवाते हुए कि रजिस्ट्री एक के नाम होने पर सुविधाजनक रहेगी और आपका नाम साक्षी के रूप में दर्ज हो जायेगा। यह भरी गलत है कि कि अपने अकेले के नाम से दस्तावेज दिनांक 12.08.2011 को पंजीयन करवा लिया हो। यह भी गलत है कि मैं इस कानूनी मामले में ज्यादा जानकारी नहीं रखता हो। इस पैरा में केवल यह सही दर्ज किया है कि जिस दस्तावेज का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक नागौर में दिनांक 12.08.211 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 820 पृष्ठ संख्या 87 क्रम संख्या 2011010733 पर पंजीबद्ध किया गया। इस पैरा में यह भी गलत है कि प्रार्थी विक्रय

- पत्र के निष्पादन व पंजीयन करवाने के समय स्नेह, प्रेम व मित्रता के कारण अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के हक में प्रार्थी की सहमति से रजिस्ट्री करवा ली हो, जबकि अप्रार्थी का आशय शुरू से ही बदयान्ति का व दुराशपूर्वक रहा हो। सम्पूर्ण तथ्य अनर्गल, सरहीन व झुठे आक्षेप मात्र हैं, जिनका सत्यता से कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं है।
5. यह है कि आवेदन पत्र का अनुच्छेद संख्या 5 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार वर्णित किये गये हैं, गलत होने से अस्वीकार हैं। इस पैरा में दर्ज तथ्य कि वादग्रस्त खसरा नम्बर की भूमि पर प्रार्थी का सन 1999 से खरीद के पश्चात से निरन्तर कब्जा व काश्त बतौर खरीदसुदा मालिक रहता चला आया था, जो निरन्तर बदस्तूर जारी रहा, पूर्णतः गलत दर्ज किया गया है। यह सही है कि खातेदारी विक्रय पत्र अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम होने से अधिकार विलेखों में बतौर खातेदार नाम अप्रार्थी संख्या 1 अकेले का दर्ज रहा, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 ही सदभावी व वास्तविक मालिक रहा। प्रार्थी महज स्ट्रेन्जर पक्षकार हैं। यह गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने बड़ी ही चतुराई व शातिराना तरीके से प्रार्थी को मुगालते में रखा हो तथा यह भी गलत है कि प्रार्थी को सह खातेदार के भांति व्यवहार करता रहा हो। यह भी गलत है कि कभी भी रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करवाने की चेष्टा नहीं की। यह भी गलत है कि प्रार्थी संख्या 1 द्वारा की गई साजिस से तत्समय वाकिफ नहीं हो सका। प्रार्थी मात्र स्ट्रेन्जर पक्षकार हैं, जो अप्रार्थी संख्या 1 की गाढी कमाई से अर्जित राजस्व भूमि को अपनी बैनामी सम्पत्ति बताने व स्वयं को बेनामीदार बताकर मोटी रकम अप्रार्थी संख्या 1 उगाहने की कुचेष्टा पर तुला हुआ है।
  6. यह है कि आवेदन पत्र का अनुच्छेद संख्या 6 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार वर्णित किये गये हैं, गलत होने से अस्वीकार हैं। इस पैरा में दर्ज तथ्य कि यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रार्थी खसरा नम्बर 424/689 रकबा 00.05 बीघा की सम्पूर्ण खरीदसुदा 1/2 भूमि का एकल स्वामी हो तथा उसका अकेले का कब्जा व अधिकार हो, पूर्णतः मिथ्या व गलत होने से अस्वीकार हैं। इस पैरा में दर्ज तथ्य कि उक्त भूमि में नलकूप स्थित हैं, जिस पर विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है, जो पूर्व खातेदार यानि पूर्व विक्रेता के समय का ही स्थित रहता चला आया है, सही है। मगर यह गलत है कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का उपयोग उपभोग किया जाना, खातेदार की हैसियत से ट्यूबवेल पर कब्जा रखा जाना, विद्युत के बिल का भुगतान किये जाने का कार्य अपने सम्पूर्ण 1/2 भूमि तक रहता चला आया हो। यह भी गलत है कि खसरा नम्बर 446 व 424 जो संयुक्त रूप से 22 बीघा 06 बिस्वा भूमि हो, जिस पर 5 बीघा 06 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी बतौर खातेदार दिनांक 29.08.2015 के बाद काबिज काश्त हो एवं काश्त कर रहा हो। प्रार्थी जबरदस्ती अप्रार्थी संख्या 1 के गले पड रहा है तथा न्यायालय हाजा के समक्ष झुठी कार्यवाही कर अप्रार्थी संख्या 1 से मोटी रकम हडम करने की जुगत में लगा हुआ है। तथ्यों की कहानी बुनकर उनका अपनी सुविधा अनुसार निर्वचन कर देने मात्र से प्रार्थी कुछ हासिल नहीं कर सकता। न न्यायालय से प्रार्थी को कोई रिलीफ हासिल ही हो सकती है।
  7. यह है कि आवेदन पत्र का अनुच्छेद संख्या 7 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार वर्णित किये गये हैं, गलत होने से अस्वीकार हैं। इस पैरा में दर्ज तथ्य कि कालान्तर में दिनांक 29.08.2015 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य एक लिखित इकरारनामा सादे कागज पर निष्पादित किया गया हो, अप्रार्थी संख्या 1 की नियत में शुरू से ही बदयान्ति हो, गलत होने से अस्वीकार हैं। यह भी गलत है कि इसी कारण उसने उक्त लिखा पढी भी प्रार्थी के आग्रह व निवेदन के बावजूद स्टाम्प पर निष्पादित नहीं किया हो, न नोटेरी से तस्दीक करवाया हो, न पंजीबद्ध करवाया हो तथा न ही खातेदारी में नाम प्रार्थी का लिखवाया हो। प्रार्थी ने कोई दस्तावेज कूटरचना से तैयार

कर अप्रार्थी संख्या 1 की जानकारी सहमति व उसके सम्यक ज्ञान के बिना दस्तख्त करवा लिये हैं या उसके दस्तख्तों की नकल तैयार कर उन्हें असल के रूप में काम में लेना चाह रहा है तो यह आपराधिक कृत्य है, जिसकी आड में प्रार्थी कुछ भी सिद्ध करने में सफल नहीं हो सकता। प्रार्थी लगातार अप्रार्थी संख्या 1 के आश्वासन में आने के झुठे तथ्य अभिवचनित कर रहा है, प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के आश्वासन हर दफे मानता रहा, ऐसा कतई सम्भव नहीं है, कल्पित कहानी व वास्तविकता के फर्क को प्रार्थी मिटाना चाहता है, जो असम्भव है। प्रार्थी इस दावा व आवेदन हाजा की आड से महज अप्रार्थी संख्या 1 को ब्लेकमेल कर मोटी रकम की उगाही करना चाहता है। प्रार्थी के इरादे नेक व पाक नहीं हैं, इसी कारण प्रार्थी बड़े हौसलों के साथ एक सादे कागज के टुकड़े की कूटरचना कर उस आधार पर दावा व यह आवेदन लेकर आ गया है। इस पैरा में आगे दर्ज यह तथ्य कि अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर उक्त इकरारनामा दिनांक 29.08.2015 पर हो, गलत है। यह भी गलत है कि जिस इकरारनामा में अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त तमाम तथ्यों की स्वीकारोक्ति की हो। यह भी गलत है कि जिससे अप्रार्थी संख्या 1 प्रारम्भ से ही विबंधित हो तथा उसके विपरीत आचरण करने का अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 को हासिल नहीं हो। यह भी गलत है कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में पक्का मकान व पशुओं को बांधने का बाडा व अन्य निर्माण संरचाएं स्थित रहती चली आई हो। यह गलत है कि जिनका निर्माण प्रार्थी द्वारा बाद क्रय करने उक्त खसरान करवाकर गया हो। यह भी गलत है कि इनका निर्बाध व निरन्तर शांतिपूर्वक रूप से उपयोग उपभोग प्रार्थी द्वारा एकल रूप से किया जाता रहा हो। जो फोटोग्राफ्स वगैरह प्रार्थी पेश करने का कथन कर रहा है, उक्त फोटोज अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निर्मित संरचनाओं की हैं जिसका निर्माण अप्रार्थी संख्या 1 ने करवाया, अप्रार्थी संख्या 1 ही इसका उपयोग उपभोग करता है। प्रार्थी किसी भी प्रसिद्ध व बडी इमारत के फोटो लेकर उसे अपनी सिद्ध करने जैसा हास्यास्पद कृत्य कर रहा है, जिससे भी प्रार्थी की मंशा स्पष्ट है। प्रार्थी जबरन साक्ष्य गढ़ने पर अडकर दावा व यह आवेदन लाया है, जैसा दावा या आवेदन लाने का प्रार्थी को अधिकार नहीं था।

8. यह है कि आवेदन पत्र का अनुच्छेद संख्या 8 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार वर्णित किये गये हैं, गलत होने से अस्वीकार हैं। इस पैरा में दर्ज तथ्य कि प्रार्थी खसरा नम्बर 424 व 446 वाके मौजा सोलियाना की 5 बीघा 06 बिस्वा भूमि पर व खसरा नम्बर 424/689 रकबा 0.05 बीघा जो नलकूप मय बिजली कनेक्शन हैं, के आधे भाग पर बतौर खातेदार काबिज है एवं काश्त कर रहा हो, गलत अंकित किया है। यह गलत है कि विद्युत कनेक्शन का भुगतान भी सन 1999 से आज तक प्रार्थी ही कर रहा हो। अपार्थी संख्या 1 के परिसर पर स्थापित विद्युत संबंध के बिल हथियाकर जुटाकर उनका दुरुपयोग न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रार्थी करने का प्रयास कर रहा है, जो अमान्य व गलत है। यह सही है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के विरुद्ध मूण्डवा थाने में दर्ज करवाई, मगर यह गलत है कि जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी का कब्जा होने का कथन किया हो। यह भी गलत है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी हो। यह भी गलत है कि इसी अनुसार वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा करवाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी हो। यह भी गलत है कि जिस हेतु यह आवेदन पेश किया जा रहा हो। आवेदन मोटी रकम हड़प करने के दुराशयपूर्ण आशय से पूर्णतः झुठा पेश किया गया है।

9. यह है कि आवेदन पत्र का अनुच्छेद संख्या 9 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार वर्णित किये गये हैं, गलत होने से अस्वीकार हैं। इस पैरा में दर्ज तथ्य कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 की नियत का खुलासा सर्वप्रथम प्रार्थी के समक्ष

हुआ हो तथा प्रार्थी का यह आभास हो गया हो कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को उसके हक हिस्से व बंट खातेदारी की कब्जासुदा भूमि से किसी भी तरह से बेदखल करने पर आमदा हो, गलत अंकित किया है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदसुदा कब्जासुदा भूमि का हकदार अप्रार्थी संख्या 1 होने की जानकारी प्रारम्भ से ही रखता आया है। यह गलत है कि वादग्रस्त उपरोक्त खसरान की भूमि का प्रतिफल ट्यूबवैल वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा व अन्य दो खसरान की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी दोनों द्वारा किया गया हो। यह भी गलत है कि प्रार्थी वादग्रस्त खरीदसुदा भूमि का एकमात्र खातेदार काबिज काश्तकार व हकदार हो। यह भी गलत है कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में ढाणी के रूप में पक्का मकान, पशु बांधने का बाडा आदि भी बने हुए हो। यह भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को बेदखल करना चाहता हो, जब प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं, तो बेदखली का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस पैरा में आगे यह भी गलत अंकित किया है कि किसी भी तरह से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त करने पर तुला हुआ हो, जैसा करने का उसे कोई अधिकार नहीं हो। यह भी गलत है कि इस बात की पुष्टि इससे भी होती हो कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के साथ एक इकरारनामा जो दिनांक 29.08.2015 को निष्पादित किया हो, जिसमें भी प्रार्थी के कथनों की ताईद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा की गई हो। यह भी गलत है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी के विरुद्ध हो। यह भी गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा हो, काश्त हो, निवास हो, पक्का मकान बना हुआ हो, पशुओं का बाडा बना हुआ हो, प्रार्थी परिवार सहित निवास करता हो। यह भी गलत है कि जहां से प्रार्थी को नाहक व विधि विरुद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.07.2019 सीआर नम्बर 94/2019 पुलिस थाना मूण्डवा में गलत मिथ्या व झुठे तथ्यों पर आधारित दर्ज करवाकर बेदखल करने की मंशा की सर्वप्रथम पुष्टि की हो। यह भी गलत है कि जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से इसका कारण पूछा हो तो अप्रार्थी संख्या 1 अब साफ कह रहा हो कि वह हर सूरत में प्रार्थी को बेदखल करेगा। यह भी गलत है कि क्योंकि विक्रय पत्र उसके नाम से है, विधि उसकी सहायता करेगी। विधि सदैव सत्य का साथ देती है, प्रार्थी असत्य पर दावा व यह आवेदन लाया है, जैसा दावा या यह आवेदन चलने काबिल नहीं है। यह गलत है कि प्रार्थी को अब अप्रार्थी संख्या 1 की बदयान्ति की सर्वप्रथम जानकारी हुई हो। यह भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने नाजायज मंसूबों में सफल हो गया तो प्रार्थी को भारी अपूर्णिया क्षति होती हो व प्रार्थी अपने आवास निवास व कृषि भूमि से बेदखल जबरन कर दिया जाता हो। यह भी गलत है कि जिससे प्रार्थी को भारी असुविधा होती हो, प्रार्थी को होने वाली अपूर्णिया क्षति का आंकलन मुद्रा मं नहीं किया जा सकता हो तथा प्रार्थी के हक अधिकारों पर खतरों के काले बादल मंडराने से अब यह आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक हो। सम्पूर्ण तथ्य मिथ्या है। प्रार्थी के हक में कोई प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिया क्षति के बिन्दू नहीं है। प्रार्थी का दावा व यह आवेदन मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। अप्रार्थी संख्या 1 काबिज, खरीददार व खातेदार है। जिसके हितों से बढ़कर प्रार्थी के पक्ष में कभी भी प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिया क्षति के बिन्दू नहीं हो सकते। आवेदन प्रार्थी सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

10. यह है कि आवेदन पत्र का पैरा संख्या 10 का जवाब बरवक्त बहस समुचित रूप से दिया जायेगा।

11. यह है कि प्रार्थीगण ने जो आवेदन पेश किया है, उसका मुख्य आधार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम निष्पादित विक्रय पत्र में वर्णित प्रतिफल की राशि उसके द्वारा दिये जाना

बताया है, जबकि विक्रय विलेख में प्रतिफल अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिये जाने का उल्लेख है और इस बात की पुष्टि उक्त पंजीकृत दस्तावेजात में प्रार्थी के साक्षी के रूप में उस्ताक्षर से भी होती है, जिससे वह विबंधित है, इस प्रकार प्रतिफल का दिया जाना भी प्रमाणित नहीं है।

12. यह है कि प्रार्थी के द्वारा जो वाद धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, उक्त वाद कोई खातेदार ही प्रस्तुत कर सकता है, खातेदारी के अभाव में धारा 53, 88, 188 के तहत वाद पोषणीय नहीं है तथा यह अस्थायी व्यादेश का आवेदन भी ऐसी स्थिति में पोषणीय नहीं है। जबकि खसरा नम्बर 424 व 446 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम व खसरा नम्बर 424/689 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दोनों के संयुक्त रूप से नाम दर्ज है।
13. यह है कि राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी की घोषणा के लिए आवेदन इससे बताये अनुसार आधारों पर ही जोषित हो सकती है। प्रार्थी ने जिस प्रकार के तथ्य उल्लेखित किये, उसके अनुसार धारा 207 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के तहत वाद राजस्व न्यायालय के तहत पोषणीय नहीं है और अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पंजीबद्ध विक्रय विलेख के विपरीत जाकर भूमि को प्रार्थी की खरीदसुदा मानने का कोई कारण नहीं है, जिससे उक्त विक्रय विलेख के अस्तित्व में रहते प्रार्थीगण का आवेदन पोषणीय नहीं है और विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र सारहीन, बलहीन, मिथ्या व वेग अभिवचनों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस दिनांक 04.03.2021 को सुनी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने पक्ष में आरआरटी 2013 (1) पेज 123, आरआरटी 2014 (2) पेज 1301, आरआरटी 2018 (1) पेज 405, डीएनजे 2013 (3) पेज 997 एवं रजिस्ट्रीकरण अधि. 1908 धारा 16ए धारा 17 व धारा 49 पेश करते हुए जारी प्रार्थी द्वारा पेश अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने कहा कि में दृष्टांत इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है।

हमने पत्रावली का गहन अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 29.08.2015 को निष्पादित कच्ची लिखा पढ़ी के आधार पर कुल कृषि भूमि 22-06 बीघा में से 5 बीघा 6 बिस्वा व ट्यूबेल में आधा हक अधिकार जताते हुए सम्पूर्ण रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा पर स्थगन चाहता है। जिसका कारण उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की रजिस्ट्री के समय प्रतिफल का संदाय करना बताते है तथा विश्वास से रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 1 के नाम करवाना बताते है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नहीं है। अतः ग्राम सोलियाना के खसरा नम्बर 446 रकबा 3-15 बीघा, खसरा नम्बर 424 रकबा 18-11 बीघा कुल रकबा 22-06 बीघा में से प्रार्थी के कब्जे काश्त की 5-06 बीघा व ट्यूबेल के खसरा नम्बर 424/689 रकबा 0-05 बीघा में से  $2\frac{1}{2}$  बिस्वा हिस्से के उपयोग व उपभोग काश्त व रेकर्ड की यथा स्थिति दावे के विचाराधीन रहते हुए बनाये रखने की स्वीकार करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.03.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(रामजी विश्णोई)

आर.ए.एस

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर